

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 473/2015/उ.शि./38-1

नया रायपुर, दिनांक 5/08/2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

समस्त पुलिस अधीक्षक,
छत्तीसगढ़।

विषय:- छात्रसंघ चुनाव वर्ष 2015-16 की तैयारी एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने बावत।


-0-

विषयांतर्गत विगत वर्ष 2014-15 की भांति माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 में भी छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में दिनांक 22.7.2015 को माननीय विभागीय मंत्रीजी के द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों की बैठक ली जाकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

छात्रसंघ चुनाव हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में 'छात्रसंघ चुनाव मार्गदर्शिका' की एक प्रति आपके उपयोग हेतु संलग्न प्रेषित है। इसके पृष्ठ क्रमांक 14 एवं 15 पर छात्रसंघ चुनाव हेतु समय सारणी भी संलग्न है।

छात्रसंघ चुनाव कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत संवेदनशील है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की दृष्टि से तैयारियों की समीक्षा कर लें एवं अपने जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराये जाने हेतु यथायोग्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



(डॉ. बी.एल. अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
नया रायपुर, दिनांक 5/08/2015

पृ. क्रमांक 474/2015/उ.शि./38-1

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर


प्रमुख सचिव,
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

सर्वथा
गोपनीय

छात्रसंघ चुनाव मार्गदर्शिका

शैक्षणिक सत्र 2015–2016

Disclaimer

छात्रसंघ चुनाव संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश अनुसार होना है। यह मार्गदर्शिका कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने एवं प्राचार्यों/छात्रसंघ प्रभारियों के मार्गदर्शन हेतु तैयार किया गया है। इस मार्गदर्शिका में तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश में किसी प्रकार का विरोधाभाष पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश के प्रावधान मान्य होंगे।

नोट :- केवल कुलपति / कुलसचिव / प्राचार्य / चुनाव प्रभारी
हेतु।

विद्यार्थी/अभ्यर्थी के लिये निर्धारित अर्हताएँ

1. शैक्षणिक वर्ष 2015–2016 में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो।
2. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला/महाविद्यालय के छात्रसंघ के गठन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हेतु विद्यार्थी को गत सत्र (2014–2015) में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है, किंतु यदि वह स्नातकोत्तर, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर/पूर्व का विद्यार्थी है तो उसे गत सत्र में विश्वविद्यालय /महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक नहीं है ।
3. कोई भी विद्यार्थी अपनी अध्ययन-अवधि में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक-एक बार कक्षा प्रतिनिधि रह सकता है।
4. कोई भी विद्यार्थी लगातार वर्षों में किसी एक ही पद पर पदाधिकारी नहीं रह सकता है।
5. छात्रसंघ पदाधिकारी का एक पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षित पद का निर्धारण लॉटरी पद्धति द्वारा छात्रसंघ प्रभारी के द्वारा किया जाएगा ।
6. कक्षा प्रतिनिधि के लिए एक-तिहाई पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित कक्षाओं/सेक्सन का निर्धारण लॉटरी पद्धति से ड्रा द्वारा छात्रसंघ प्रभारी के द्वारा किया जाएगा ।

नोट :-

1. छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया में **सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिसकी अवधि एक वर्ष से कम हो**, उसे सम्मिलित नहीं किया जावेगा। उसी प्रकार से एम.फिल एवं पी-एच.डी. की कक्षाएं छात्र संघ चुनाव की परिधि से बाहर रहेगा ।
2. जिन महाविद्यालयों में **केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संचालित हैं**, जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम है, वहां छात्र संघ चुनाव नहीं होगा ।
3. यदि किसी पद के लिये केवल एक ही पात्र नामांकन पत्र प्राप्त होता है तो संबंधित पात्र अभ्यर्थी को आवेदित पद पर सक्षम निर्वाचन अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

विद्यार्थी/अभ्यर्थी के लिए अनर्हताएं

1. विद्यार्थी रैगिंग प्रकरण में लिप्त रहा हो ।
2. विद्यार्थी ने 12 वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा वर्ष 2009–2010 या उसके पूर्व उत्तीर्ण की हो या विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम निर्धारित अवधि से अधिक समय में किसी पाठ्यक्रम को, किसी भी कारण से पूर्ण की हो या शैक्षिक बकाया (academic backlog) हो ।
3. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के सभी शुल्क निर्धारित दिनांक तक जमा नहीं किए गए हैं।
4. विद्यार्थी को न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संबंधी प्रकरण में किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध आरोप अधिरोपित कर न्यायालयीन कार्यवाही चल रहा हो ।
5. किसी भी परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण दंडित किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण कार्यवाही विचाराधीन हो ।
6. विद्यार्थी वर्तमान में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कहीं नियोजित हो ।
7. विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अवधि से अधिक समय में उत्तीर्ण की हो।
8. विद्यार्थी को अध्ययनरत संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दंडित किया गया हो।
9. विद्यार्थी द्वारा एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा अपूर्ण छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो ।
10. विद्यार्थी द्वारा अस्थायी प्रवेश लिया गया हो ।
11. अध्ययन-काल के किसी भी वर्ष में, नियम भंग करने के कारण विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के छात्रावास से निष्काषित किया गया हो ।
12. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अग्रिम बकाया हो ।

नोट— कोई भी विद्यार्थी जिसके ऊपर उपरोक्त कंडिकाओं में से किसी एक कंडिका लागू हो तो उसका नाम न तो मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा न ही वह अभ्यर्थी हो सकेगा।

विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों / अध्ययनशालाओं / महाविद्यालयों में
पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव

छात्र संघ गठन की प्रक्रिया संलग्न समय सारणी के आधार पर पूर्ण कराई जाएगी ।

छात्रसंघ गठन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- (i) मतदाता सूची का प्रकाशन । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई-2015 एवं कुलपति की अनुमति से 14 अगस्त-2015 है । अतः मतदाता सूची के निर्माण का कार्य 31 जुलाई के पश्चात् प्रारंभ किया जावे एवं 14 अगस्त-2015 तक किये गये प्रवेश को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाये ।
- (ii) मतदाता सूची पर आपत्तियां निर्धारित तिथि तक प्राप्त की जाएगी ।
- (iii) आपत्तियों की जाँच कर निराकरण उपरान्त अंतिम सूची का प्रकाशन किया जावेगा ।
- (iv) छात्रसंघ गठन हेतु घोषित समय-सारणी के तहत पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों के पदों हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित नामांकन फार्म का विक्रय एवं आवेदकों द्वारा चुनाव हेतु नामांकन फार्म को भरकर प्रस्तुत किया जाएगा । इस कार्य हेतु तिथि एवं समय की घोषणा छात्रसंघ प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार करेगा ।
- (v) प्राप्त नामांकन आवेदन पत्रों की जाँच कर वैध अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा ।
- (viii) आवेदन पत्रों के आधार पर नाम वापसी की कार्यवाही की जावेगी तथा वैध अभ्यर्थियों की **अंतिम सूची** का प्रकाशन किया जावेगा ।
- (ix) इसके पश्चात समय सारणी के अनुसार निर्धारित तिथि को गुप्त मतदान प्रक्रिया से मतदान, निर्धारित मतदान केन्द्रों पर की जावेगी । मतदान की तिथि एवं मतदान कक्ष की घोषणा तथा अन्य जानकारी छात्रसंघ प्रभारी द्वारा दी जावेगी ।
- (x) नामांकन फार्म प्रस्तुत करते समय तथा मतदान की तिथि को अभ्यर्थी/विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय अध्ययनशाला / महाविद्यालय द्वारा जारी नवीनीकृत पहचान पत्र एवं भुल्क की रसीद प्रस्तुत करना होगा ।
- (xi) मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन पदाधिकारी तथा कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना उसी मतदान केन्द्र में की जावेगी जहां पर मतदान आयोजित किया गया था । परिणाम की घोषणा पृथक से छात्र संघ प्रभारी द्वारा मतगणना उपरान्त उसी दिन की जावेगी ।
- (xii) मतगणना के उपरान्त तर्कसंगत आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में संपोषक/छात्रसंघ प्रभारी द्वारा इसका परीक्षण निर्धारित समिति के द्वारा कराया जावेगा एवं आवश्यकता होने पर ही पुनर्गणना की कार्यवाही की जावेगी ।

**विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं / महाविद्यालयों में
पदाधिकारियों तथा कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव की समय सारणी**

पदाधिकारियों, स्नातक कक्षाओं तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के कक्षावार कक्षा प्रतिनिधियों (जहाँ पर सेक्शन हैं, वहा सेक्शनवार) का चुनाव कार्यक्रम हेतु समय सारणी :-

स. क्र.	तिथि	समय	कार्यक्रम
1	14.08.2015	दोपहर 2.00 बजे तक	छात्रसंघ गठन कार्यक्रम की घोषणा
2	17.08.2015	सायं 5.00 बजे तक	कक्षावार अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
3	18.08.2015	दोपहर 2.00 बजे तक	अनंतिम मतदाता सूची पर आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त करना
4	18.08.2015	सायं 5.00 बजे तक	प्राप्त आपत्तियों का निराकरण
5	19.08.2015	प्रातः 12.00 बजे तक	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (आपत्तियों के निराकरण उपरान्त)
6	19.08.2015	प्रातः 01.00 बजे से 05.00 बजे तक	नामांकन पत्रों का विक्रय
7	20.08.2015	11.00 बजे से 04.00 बजे तक	नामांकन पत्र जमा करना
8	21.08.2015	10.00 बजे से 12.00 बजे तक	नामांकन पत्रों की जांच
9	21.08.2015	अपरान्ह 12.00 बजे से 01.00 बजे तक	वैध अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन
10	21.08.2015	01.00 बजे से 04.30 बजे तक	अभ्यर्थियों का नाम वापसी
11	21.08.2015	सायं 05.00 बजे	अभ्यर्थियों की सूची का अंतिम प्रकाशन
12	25.08.2015	प्रातः 08.00 बजे से 12.00 बजे तक	मतदान
13	25.08.2015	01.00 बजे से	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

नोट: -

- दिनांक 25.08.2015 को प्रत्येक महाविद्यालय में निर्वाचित अध्यक्ष एवं सचिव के नाम की प्रमाणित सूची महाविद्यालय के संपोषक के द्वारा अनिवार्य रूप से अपने जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को फैक्स/ई-मेल/विशेष वाहक द्वारा उसी दिन उपलब्ध कराया जावेगा।
- अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा दिनांक 25.08.2015 को रात्रि में ही अनिवार्य रूप से अपने जिले के अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय) से बिन्दु एक के अनुसार प्राप्त सूची एवं स्वयं के महाविद्यालय की सूची को सम्मिलित कर जिले की एकजाई जानकारी विशेष वाहक/ई-मेल/फैक्स द्वारा अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वविद्यालय छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव की समय-सारणी

स.क्र.	तिथि	समय	कार्यक्रम
1	26.08.2015	दोपहर 12.00 बजे	अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। (सूचना पटल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी किया जावे।)
2	26.08.2015	अपरान्ह 02.00 बजे तक	दावा/आपत्तियां प्राचार्य/छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से ई-मेल/फैक्स/विशेष वाहक आदि द्वारा प्राप्त करना।
3	26.08.2015	अपरान्ह 03.00 बजे	अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। (सूचना पटल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी किया जावे।)
4	26.08.2015	अपरान्ह 03.30 बजे से 05.30 तक	अग्रणी महाविद्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करना।
5	26.08.2015	उसी दिन	अग्रणी महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को नामांकन पत्र प्रेषित करना। (ई-मेल/फैक्स/विशेष वाहक आदि द्वारा प्राप्त करना।)
6	27.08.2015	प्रातः 11 बजे तक	विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन पत्रों की जांच एवं सूची का प्रकाशन।
7	27.08.2015	11.00 से अपरान्ह 1.00 बजे तक	विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत नामांकन पत्रों पर दावा आपत्तियां प्राप्त करना
8	27.08.2015	अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक	संबंधित विश्वविद्यालयों में नाम वापसी
9	27.08.2015	सायं 5:30 बजे तक	दावा/आपत्तियों की जांच तथा नाम वापसी उपरान्त वैद्य पाये गये नामांकन पत्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन। (सूचना पटल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी किया जावे।) एवं मतपत्रों की तैयारी
10	28.08.2015	यथाशीघ्र	मतपत्रों का संबंधित महाविद्यालयों को गोपनीय रूप से प्रेषण
11	02.09.2015	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक	मतदान (संबंधित महाविद्यालय/अध्ययन भाला में)
12	02.09.2015	12:30 बजे तक	मतपत्रों की गणना (संबंधित महाविद्यालयों में)
13	02.09.2015	अपरान्ह 4:00 बजे तक	संबंधित महाविद्यालय मतपत्रों को एवं मत गणना परिणाम को पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफे में विशेष वाहक द्वारा अग्रणी महाविद्यालय को गोपनीय रूप से प्रेषित करेगा। (विशेष परिस्थिति में विशेष वाहक भेजना संभव न हो तो गोपनीय ई-मेल/फैक्स आदि द्वारा भी गणना परिणाम भेजा जा सकेगा।)
14	02.09.2015	सायं 5:00 बजे	अग्रणी महाविद्यालय द्वारा गोपनीय रूप से विश्वविद्यालय को मत पत्रों एवं जिले की एकजाई गणना परिणाम प्रेषित किया जाएगा। (विशेष परिस्थिति में विशेष वाहक भेजना संभव न हो तो गोपनीय ई-मेल/फैक्स आदि द्वारा भी गणना परिणाम भेजा जा सकेगा।)
15	02.09.2015	—	गणना परिणाम संकलन उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा।

विशेष टीप :-

- 1/- विश्वविद्यालय छात्रसंघ के गठन हेतु, विश्वविद्यालय छात्रसंघ के संपोशक/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा तारीख की घोषणा की जावेगी।
- 2/- विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रभारी द्वारा विश्वविद्यालय अध्ययनशाला एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से दिनांक 26.08.2015 को अध्यक्ष एवं सचिव के नामों की सूची को प्राप्त किया जाकर मतदाता सूची तैयार कर अंतिम प्रकाशन उपरान्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट में भी अपलोड किया जावेगा।
- 3/- विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रभारी द्वारा मतपत्र तैयार कर प्रत्येक महाविद्यालय को दो मतपत्र सील बंद लिफाफे में प्रेषित किया जावेगा। मतपत्र के पिछले भाग पर छात्रसंघ प्रभारी द्वारा अपना हस्ताक्षर कर पद मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा।
- 4/- विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निर्धारित तिथि को संबंधित विश्वविद्यालय अध्ययन शाला एवं महाविद्यालय में ही मतदान किया जावेगा।

मतपत्रों की तैयारी

- (i) पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों हेतु पृथक-पृथक रंग के मतपत्र होंगे ।
- (ii) मतदान हेतु केवल प्रदत्त सील का ही उपयोग किया जावेगा। मतदाता उसी मतदान केन्द्र पर मत डाल सकेगा जो उनके लिये निर्धारित है।
- (iii) प्रत्येक मतपत्र के पिछले भाग पर निर्वाचन अधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर होंगे ।
- (iv) प्रत्येक मतपत्र पर क्रमसंख्या अंकित रहेगा ।
- (v) मतदान केन्द्र के बाहर मतपत्र का प्रारूप अनिवार्य रूप से चस्पा किया जावेगा, जिस पर **“नमूना मतपत्र”** लिखा हो ।

मतगणना की तैयारी एवं मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

1. मतदान कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकित अभिकर्ता/एजेन्ट को उपस्थित रहने का अधिकार नहीं होगा । अभ्यर्थी स्वयं चाहे तो जा सकता है ।
2. यदि कोई अभ्यर्थी मतदान के निर्धारित समय से पूर्व मतदान कक्ष में उपस्थित होता है तो अभ्यर्थी को खाली मतपेटी दिखाई जावेगी तत्पश्चात मतपेटी को सील बन्द किया जावेगा । मतपेटी सील करने के पूर्व प्रदाय की गई गोंद लगी पेपर सील पर मतदान अधिकारियों एवं अभ्यर्थी (यदि चाहे तो) के द्वारा हस्ताक्षर व दिनांक अंकित किया जा सकता है। (केवल कागज सील को ही चिपकाना है)
3. मतदाता, मतदाता सूची पर अपने नाम के समक्ष हस्ताक्षर करेगा व मतदान अधिकारी उसके नाम को (√) सही के निशान से अंकित भी करेगा ।
4. मतदान हेतु मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने के पूर्व उसकी पृष्ठ भाग पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करेगा ।
5. मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर (फोल्ड करके देगा) । मतपत्र इस प्रकार से मोड़ा जायेगा कि किसी दूसरे के नाम पर पूर्व में मत अंकित करने हेतु की गई व्यवस्था के अंतर्गत लगाई गई स्याही किसी दूसरे अभ्यर्थी पर न लगने पाए। .
6. मतदान हेतु मतदाता की पहचान सुनिश्चित किया जाना होगा।
7. मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर एक लंबी घंटी बजेगी । इसी प्रकार मतदान समाप्ति पर लंबी घंटी बजायी जायेगी ।
8. मतदान की समाप्ति पर यदि मतदान के लिये मतदान कक्ष के बाहर शेष मतदाता उपस्थित रहते हैं तो उन्हें पंक्तिबद्ध कर मतदान अधिकारी के द्वारा स्व-हस्ताक्षरित पर्ची घटती क्रमसंख्या से पंक्ति के सबसे अंतिम मतदाता को सबसे पहले बांटते हुए दी जायेगी । (शेष बचे सभी मतदाताओं को) ऐसे पर्चीधारी शेष बचे हुए मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जायेगा।
9. दृष्टिहीन मतदाता द्वारा दृष्टिहीन के साथी (अभ्यर्थी को छोड़कर उसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय का विद्यार्थी) का सहयोग लिया जा सकेगा।
10. मतदाता सूची में साधारण त्रुटि (लिपिकीय त्रुटि जैसे मात्रा आदि) को त्रुटि नहीं माना जाएगा । संज्ञान में आने पर तत्काल ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।
11. मतदान समाप्ति के पश्चात उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष मतदान अधिकारी दल पहले कक्षा प्रतिनिधियों की मत-पेटियों को खोलेंगे व मतपत्रों की गणना नियमानुसार करेंगे। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों की मत-पेटी को खोलकर, मतपत्रों की गणना नियमानुसार करेंगे।
12. मतगणना के पश्चात सामग्री निर्दिष्ट नियंत्रण कक्ष में जमा होगी ।

- अ. उपयोग में लाये गए वैध मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटैप से सील कर तथा लिफाफे पर हस्ताक्षर करने हेतु सुरक्षित रखा जायेगा। लौटाया जाएगा। ये सभी लिफाफे संस्था प्रमुख की अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जायेंगे।
- ब. उपयोग में न लाये गये मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटैप से सील कर लौटाया जायेगा।
- स. कटे-फटे, निरस्त, गलत मुद्रण आदि, ऐसे मतपत्र निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटैप से सील कर नियंत्रण कक्ष को लौटायी जावेगी।
- द. मतगणना का परिणाम एवं मतगणना प्रपत्र खुला हुआ एवं हस्ताक्षरित कर चुनाव प्रभारी/प्राचार्य को लौटाया जायेगा।
- य. शेष मतदान सामग्री नियंत्रण कक्ष को लौटाई जायेगी।
13. निविदत्त मतपत्र: – यदि कोई मतदाता मत देने आता है और उसका पूर्व से ही मत डाला जा चुका है तो उसे मतदान करने का अवसर दिया जावेगा, किंतु ऐसे मतपत्र पृथक लिफाफे में सील किये जाएंगे एवं विवाद का निपटारा प्राचार्य द्वारा किया जावेगा।
14. नामांकन एवं नाम वापसी निर्धारित प्रपत्रों में ही मान्य होगी।
15. नामांकन पत्र में चाही गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरी जाएगी।
16. कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र में अभ्यर्थी का उसी कक्षा एवं वर्ग (सैक्शन) का विद्यार्थी होना अनिवार्य है, जिस कक्षा के कक्षा प्रतिनिधि पद के लिये वह चुनाव लड़ रहा है। प्रस्तावक एवं समर्थक का भी उसी कक्षा एवं वर्ग (सैक्शन) का विद्यार्थी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा की मतदाता सूची में अपने क्रमांक का अवलोकन कर नामांकन पत्र में यथा स्थान उल्लेख करेंगे तथा मतदान अधिकारी की उपस्थिति में, हस्ताक्षर करेंगे।
- इसी प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह-सचिव हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र में, प्रस्तावक एवं समर्थक उस महाविद्यालय का कोई भी नियमित छात्र हो सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में है। प्रस्तावक एवं समर्थक अभ्यर्थी के नामांकन पत्र में यथा स्थान पर मतदान अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेंगे।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह-सचिव हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र में अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक का नाम उसी विश्वविद्यालय की मतदाता सूची में अंकित होना आवश्यक है। किसी भी महाविद्यालय के अभ्यर्थियों के प्रस्तावक एवं समर्थक नामांकन पत्र में यथा स्थान पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर करेंगे।
17. नामांकन पत्रों का विक्रय कक्षा प्रतिनिधियों हेतु 20 रूपये तथा पदाधिकारियों हेतु 50 रूपये निर्धारित किये गये हैं।

18. किसी भी नामांकन पत्र पर यदि एक ही पद हेतु अभ्यर्थी के प्रस्तावक एवं समर्थक ने एक से अधिक नामांकन पत्रों पर प्रस्ताव एवं समर्थन कर दिया है तो ऐसे नामांकन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।
19. संबंधित अधिकारी के समक्ष एक बार भरा हुआ नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने पर उस नामांकन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
20. प्रत्येक चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होगा ।
21. चुनाव में दो या अधिक उम्मीदवारों को सर्वाधिक किन्तु बराबर मत प्राप्त होने पर निर्णय लॉटरी पद्धति द्वारा किया जावेगा ।
22. मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद सभी संवर्गों में मतदान स्थल पर ही मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी । अतः अभ्यर्थी मतदान की समाप्ति के बाद कक्ष में उपस्थित रहे, ताकि मतगणना उनकी उपस्थिति में हो । अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने पर भी मतदान की समाप्ति के उपरान्त मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी तथा मतगणना के उपरान्त परिणाम घोषित कर दिया जाएगा । घोषित परिणाम की अधिकारिक प्रति चुनाव नियंत्रण कक्ष/संस्था प्रमुख से प्राप्त की जा सकती है ।
23. चुनाव अभ्यर्थी बनने की स्थिति में, अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक व्यक्तिशः मतदान अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करेंगे ।
25. गुप्त मतदान के लिए संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सील का ही उपयोग करना है ।

प्राचार्यो हेतु निर्देश

1. छात्रसंघ गठन संबंधी अधिसूचना जारी करना ।
2. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची कक्षावार तैयार करना । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई-2015 एवं कुलपति की अनुमति से 14 अगस्त-2015 है । अतः मतदाता सूची के निर्माण का कार्य 31 जुलाई के पश्चात् प्रारंभ किया जावे एवं 14 अगस्त-2015 तक किये गये प्रवेश को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाये ।
3. पर्याप्त सुरक्षा बल/पुलिस बल की तैनाती हेतु जिला पुलिस अधीक्षक/जिला कलेक्टर/स्थानीय पुलिस अधिकारी/स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देना । अगर महाविद्यालय में बाउन्ड्री वाल नहीं है अथवा किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित है तो पुलिस को स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित करेंगे ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके ।
4. समस्त विद्यार्थियों को परिचय पत्र का वितरण सुनिश्चित करना ।
5. नियंत्रण कक्ष का गठन करना ।
6. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करना ।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये संस्था प्रमुख स्व-विवेक से निर्णय लेकर कार्यवाही करे ताकि छात्रसंघ का गठन सुचारु रूप से शांतिपूर्वक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अनुशासित ढंग से सम्पन्न हो सके ।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन

चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने एवं व्यवस्थित संचालन के लिये एक शिकायत निवारण सेल का गठन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से किया जायेगा । इस सेल में छात्र कल्याण अधिष्ठाता/छात्रसंघ प्रभारी सेल के अध्यक्ष होंगे इनके अतिरिक्त एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में पदस्थ हो को नामांकित किया जावेगा ।

चुनाव के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच इस प्रकोष्ठ के द्वारा की जावेगी ।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के कर्त्तव्य एवं अधिकार

1. प्रकोष्ठ दोनो ही पक्षों के लिये उपयुक्त राहत दे सकेगा, जिसमें आर्थिक दण्ड, निलंबन, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियों के लिये, निलंबन एवं चुनाव में भाग लेने पर निर्योग्यता का निर्धारण कर उचित अनुसंशा कर सकेगा ।
2. सुनवाई के पश्चात यदि प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस आचार-संहिता के प्रावधानो का अभ्यर्थी ने उल्लंघन किया है तो प्रकोष्ठ अभ्यर्थी को चुनाव की प्रक्रिया से कुछ समय अथवा पूर्ण समय के लिये अथवा बचे समय हेतु अलग कर सकता है ।
3. यदि सुनवाई के पश्चात प्रकोष्ठ यह पाता है कि आचार-संहिता का अभ्यर्थियों के द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया गया है तो प्रकोष्ठ अभ्यर्थी को अयोग्य करने की अनुसंशा कर सकेगा ।

12. संस्था प्रमुख के समक्ष द्वितीय अपील की जाने की व्यवस्था

1. यदि प्रकोष्ठ के निर्णयों के विरुद्ध संस्था प्रमुख को अपील की जाती है तो प्रकोष्ठ अपना पक्ष संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।
2. संस्था प्रमुख, प्रकोष्ठ की अनुशंसा पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करेगा किंतु 24 घंटे पूर्व नहीं । यदि आवश्यक हुआ तो प्रकोष्ठ संस्था प्रमुख को प्रकरण के संबंध में लिखित अभिमत देगा । इस समय पूर्व में भी अपील पर सुनवाई हो सकती है । यदि शिकायतकर्ता लिखित में इस हेतु समय-सीमा बढ़ाने का निवेदन करे तथा संस्था प्रमुख प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सकारण स्पीकिंग आदेश जारी कर निर्णय को मान्य या अमान्य या संशोधित कर सकेगा ।
3. संस्था प्रमुख प्रकोष्ठ के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकेगा जब उसके समक्ष अपील की जावेगी । संस्था प्रमुख प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सकारण स्पीकिंग आदेश जारी कर निर्णय को मान्य या अमान्य या संशोधित कर सकेगा ।

महाविद्यालयों/एस.ओ.एस./विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में छात्रसंघ गठन की अधिसूचना का प्रारूप

..... विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक के प्रावधानानुसार महाविद्यालय/एस.ओ.एस./विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में छात्र संघ गठन हेतु निम्नानुसार समय-सारणी/चुनाव कार्यक्रम एतद् द्वारा घोषित किया जाता है :-

छात्रसंघ गठन कार्यक्रम की घोषणा

स. क्र.	तिथि	समय	कार्यक्रम
1	14.08.2015	दोपहर 2.00 बजे तक	छात्रसंघ गठन कार्यक्रम की घोषणा
2	17.08.2015	सायं 5.00 बजे तक	कक्षावार अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
3	18.08.2015	दोपहर 2.00 बजे तक	अनंतिम मतदाता सूची पर आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त करना
4	18.08.2015	सायं 5.00 बजे तक	प्राप्त आपत्तियों का निराकरण
5	19.08.2015	प्रातः 12.00 बजे तक	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (आपत्तियों के निराकरण उपरान्त)
6	19.08.2015	प्रातः 01.00 बजे से 05.00 बजे तक	नामांकन पत्रों का विक्रय
7	20.08.2015	11.00 बजे से 04.00 बजे तक	नामांकन पत्र जमा करना
8	21.08.2015	10.00 बजे से 12.00 बजे तक	नामांकन पत्रों की जांच
9	21.08.2015	अपरान्ह 12.00 बजे से 01.00 बजे तक	वैध अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन
10	21.08.2015	01.00 बजे से 04.30 बजे तक	अभ्यर्थियों का नाम वापसी
11	21.08.2015	सायं 05.00 बजे	अभ्यर्थियों की सूची का अंतिम प्रकाशन
12	25.08.2015	प्रातः 08.00 बजे से 12.00 बजे तक	मतदान
13	25.08.2015	01.00 बजे से	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

महाविद्यालय छात्रसंघ प्रभारी के हस्ताक्षर व पद मुद्रा

दिनांक :

टिप्पणी :

1. उक्त अधिसूचना का प्रकाशन महाविद्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।
2. संबंधित संस्था द्वारा उक्त अधिसूचना को पृष्ठान्कित कर जारी किया जायेगा।

विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ गठन की अधिसूचना का प्रारूप
 विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में
 छात्र संघ गठन हेतु निम्नानुसार समय-सारणी/चुनाव कार्यक्रम एतद् द्वारा घोषित किया जाता है :-

छात्रसंघ गठन कार्यक्रम की घोषणा

स.क्र.	तिथि	समय	कार्यक्रम
1	26.08.2015	दोपहर 12.00 बजे	अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। (सूचना पटल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी किया जावे।)
2	26.08.2015	अपरान्ह 02.00 बजे तक	दावा/आपत्तियां प्राचार्य/छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से ई-मेल/फैक्स/विशेष वाहक आदि द्वारा प्राप्त करना।
3	26.08.2015	अपरान्ह 03.00 बजे	अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। (सूचना पटल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी किया जावे।)
4	26.08.2015	अपरान्ह 03.30 बजे से 05.30 तक	अग्रणी महाविद्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करना।
5	26.08.2015	उसी दिन	अग्रणी महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को नामांकन पत्र प्रेषित करना। (ई-मेल/फैक्स/विशेष वाहक आदि द्वारा प्राप्त करना।)
6	27.08..2015	प्रातः 11 बजे तक	विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन पत्रों की जांच एवं सूची का प्रकाशन।
7	27.08..2015	11.00 से अपरान्ह 1.00 बजे तक	विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत नामांकन पत्रों पर दावा आपत्तियां प्राप्त करना
8	27.08..2015	अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक	संबंधित विश्वविद्यालयों में नाम वापसी
9	27.08..2015	सायं 5:30 बजे तक	दावा/आपत्तियों की जांच तथा नाम वापसी उपरान्त वैद्य पाये गये नामांकन पत्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन। (सूचना पटल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी किया जावे।) एवं मतपत्रों की तैयारी
10	28.08.2015	यथाशीघ्र	मतपत्रों का संबंधित महाविद्यालयों को गोपनीय रूप से प्रेषण
11	02.09.2015	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक	मतदान (संबंधित महाविद्यालय/अध्ययन भाला में)
12	02.09.2015	12:30 बजे तक	मतपत्रों की गणना (संबंधित महाविद्यालयों में)
13	02.09.2015	अपरान्ह 4:00 बजे तक	संबंधित महाविद्यालय मतपत्रों को एवं मत गणना परिणाम को पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफे में विशेष वाहक द्वारा अग्रणी महाविद्यालय को गोपनीय रूप से प्रेषित करेगा। (विशेष परिस्थिति में विशेष वाहक भेजना संभव न हो तो गोपनीय ई-मेल/फैक्स आदि द्वारा भी गणना परिणाम भेजा जा सकेगा।)
14	02.09.2015	सायं 5:00 बजे	अग्रणी महाविद्यालय द्वारा गोपनीय रूप से विश्वविद्यालय को मत पत्रों एवं जिले की एकजाई गणना परिणाम प्रेषित किया जाएगा। (विशेष परिस्थिति में विशेष वाहक भेजना संभव न हो तो गोपनीय ई-मेल/फैक्स आदि द्वारा भी गणना परिणाम भेजा जा सकेगा।)
15	02.09.2015	—	गणना परिणाम संकलन उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा।

विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रभारी के हस्ताक्षर व पद मुद्रा

दिनांक :

टिप्पणी :

1. उक्त अधिसूचना का प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।
2. संबंधित संस्था द्वारा उक्त अधिसूचना को पठाकित कर जारी किया जायेगा।

छात्रसंघ गठन

घोषणा

शैक्षणिक सत्र 2015–2016 में
महाविद्यालय / SoS / विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में निम्नलिखित छात्र संघ पदाधिकारी
निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :-

अध्यक्ष :

उपाध्यक्ष :

सचिव :

सहसचिव :

छात्रसंघ प्रभारी / प्राचार्य के हस्ताक्षर व पद मुद्रा

दिनांक :

(महाविद्यालय/SoS/विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की घोषणा)

छात्रसंघ गठन

घोषणा

शैक्षणिक सत्र 2015–2016 में

महाविद्यालय/SoS/विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में निम्नलिखित कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये जाते है :-

क्र.	कक्षा एवं सेक्शन	कक्षा प्रतिनिधि का नाम
1		
2		
3		
4		
5		

छात्रसंघ प्रभारी/प्राचार्य के हस्ताक्षर व पद मुद्रा

दिनांक :

(विश्वविद्यालय में निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा का प्रारूप)

छात्रसंघ गठन

अधिसूचना

शैक्षणिक सत्र 2015–2016 में

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित छात्र संघ पदाधिकारी निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :-

अध्यक्ष :

उपाध्यक्ष :

सचिव :

सह-सचिव :

छात्रसंघ प्रभारी/संपोशक के हस्ताक्षर व पद मुद्रा

दिनांक :

(महाविद्यालय/SoS/विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में पदाधिकारी/कक्षा प्रतिनिधि हेतु नामांकन पत्र का प्रारूप)

महाविद्यालय/SoS/विश्वविद्यालय अध्ययन शाला का नाम :

क्रमांक

नामांकन पत्र

(पदाधिकारी/कक्षा प्रतिनिधि हेतु)

1. पद का नाम (जिस हेतु अभ्यर्थी है) -
2. अभ्यर्थी का नाम - पिता का नाम -
3. कक्षा एवं सेक्शन -

.....

(स्नात्कोत्तर कक्षा के अभ्यर्थी विषय का भी उल्लेख करें)

4. कक्षा एवं सेक्शन की मतदाता सूची का क.

.....

5. प्रस्तावक एवं समर्थक संबंधी जानकारी

- (1) प्रस्तावक का नाम कक्षा एवं सेक्शन
- मतदाता सूची का क्रमांक हस्ताक्षर.....
- (2) समर्थक का नाम कक्षा एवं सेक्शन
- मतदाता सूची का क्रमांक हस्ताक्षर.....

नोट :- 1. कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रस्तावक एवं समर्थक अभ्यर्थी के कक्षा एवं सेक्शन के ही होंगे।

2. केवल वे विद्यार्थी ही प्रस्तावक व समर्थक हो सकते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम

कक्षा

परीक्षण समिति की टीप

1. नामांकन पत्र सही पाया गया
2. नामांकन पत्र सही नहीं पाया गया क्योंकि

.....

दिनांक :

छात्र संघ प्रभारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

अभ्यर्थी का अभिवचन-पत्र

मैं श्री/कुमारी/सुश्री.....पिता का नाम.....
.....कक्षा एवं सेक्शनछात्रसंघ में
पदाधिकारी /कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए अभ्यर्थी हूँ तथा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित
अभिवचन देता/देती हूँ कि :-

1. मैंने छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आचरण संहिता अर्हताएं तथा अध्यादेश क्रमांक 01 में वर्णित प्रावधानों का अध्ययन कर लिया है ।
2. मैंने 10+2 की परीक्षा 2009-10 के पूर्व उत्तीर्ण नहीं की है और न ही मैंने पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अवधि से अधिक अवधि में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है ।
3. मैंने विगत सभी परीक्षाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की है और मुझे अभी तक पूरक परीक्षा की पात्रता नहीं रही है ।
4. एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण घोषित होने पर/या अपूर्ण पाठ्यक्रम छोड़कर मैंने किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है ।
5. मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालयीन/स्वशासीय परीक्षा के दौरान कोई भी अनुचित साधन संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है, न ही इसके लिये दण्डित किया गया है ।
6. मुझे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से संबंधित किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है, न ही न्यायालय में आरोप तय कर कोई न्यायालयीन कार्यवाही मेरे विरुद्ध विचाराधीन है ।
7. मेरे विरुद्ध संस्था/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है ।
8. मैं कभी भी रैगिंग प्रकरणों में लिप्त नहीं रहा/रही हूँ ।
9. मैं किसी प्रकार के रोजगार (नौकरी) में नहीं हूँ ।
10. मैंने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में देय समस्त आवश्यक शुल्कों का भुगतान कर दिया है । मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई भी अग्रिम बकाया नहीं है ।
11. मुझे कभी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रावास से निष्कासित नहीं किया गया है ।
12. अभिवचन पत्र के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज सही तथा अभिप्रमाणित है ।
13. मेरे द्वारा आचरण संहिता का उल्लंघन किये जाने पर या मेरे द्वारा दिए गए अभिवचनों में कोई भी अभिवचन असत्य पाये जाने पर मेरे नामांकन प्रपत्र को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य/छात्रसंघ प्रभारी को होगा । संस्था प्रमुख द्वारा लिया गया निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा ।
14. उक्त अभिवचन पत्र मेरे द्वारा, छात्रसंघ सत्र 2015-2016 में पद हेतु निर्वाचन के संदर्भ में दिया जा रहा है ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम वापसी का प्रपत्र

मैंआत्मज श्री/श्रीमती/.....कक्षा
 सेक्सन.....नेसंवर्ग सेपद के लिए नामांकन
 पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे मैं अपनी स्वेच्छा से वापिस लेता/लेती हूँ ।

दिनांक :.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

समय.....

अभ्यर्थी का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी ने नाम वापसी के प्रपत्र पर मेरे समक्ष दिनांक
समयको हस्ताक्षर किये ।

छात्रसंघ प्रभारी का हस्ताक्षर
 नाम सहित पदमुद्रा

// पावती //

नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

1. 12वीं कक्षा तथा विगत सभी विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की अंकसूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
2. सत्र 2015-2016 में प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
3. नामांकन पत्र क्रय की रसीद की छायाप्रति।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

टीप:- यह पावती दो प्रतियों में भरवाई जाए। एक प्रति पावती के रूप में विद्यार्थी को सौंपी जाए।

// मतदान अधिकारी द्वारा मतगणना समाप्ति उपरांत दिये जाने वाला

प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान कक्ष क्र. में मतगणना गिनती के उपरान्त अभ्यर्थियों के निम्नानुसार मत प्राप्त हुये :-

(1) पदाधिकारी हेतु

(अ) पद—अध्यक्ष

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
(1)	(2)	(3)
1		
2		

(ब) पद—उपाध्यक्ष

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
(1)	(2)	(3)
1		
2		

(स) पद—सचिव

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
(1)	(2)	(3)
1		
2		

(द) पद—सह—सचिव

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
(1)	(2)	(3)
1		
2		

(2) कक्षा प्रतिनिधि हेतु

(अ) कक्षा का नाम सेक्सन.....

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
(1)	(2)	(3)
1		
2		

(ब) कक्षा का नाम सेक्सन.....

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
(1)	(2)	(3)
1		
2		

मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर

.....
.....

**चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार द्वारा निर्धारित व्यय राशि का
लेखा प्रारूप तथा अभिवचन पत्र**

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम :

उम्मीदवार का नाम :

पिता का नाम :

कक्षा : सेक्सन..... रोल नं.

पद (जिसके लिये अभ्यर्थी है) :

व्यय का विवरण :-

क्र.	बिल क्र.	दिनांक	मद का नाम	व्यय की गई राशि
कुल योग :-				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त राशि मेरे द्वारा निर्धारित सीमा रु. 5,000/- के अंतर्गत व्यय की गई है । व्यय की गई राशि एवं स्वयं सत्यापित लेखा में दी गई जानकारी मेरे अनुसार सही है । जानकारी गलत पाये जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी ।

हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

महाविद्यालय / SoS / विश्वविद्यालय अध्ययन शाला

छात्रसंघ चुनाव 2015-2016

मतपत्र

कक्षा प्रतिनिधि

कक्षा.....

सेक्सन

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मतांकन
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

नोट :- चुनाव अधिकारी द्वारा मतपत्र देने के पूर्व मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करेंगे ।

महाविद्यालय/SoS/विश्वविद्यालय अध्ययन शाला
छात्रसंघ चुनाव 2015-2016

छात्रसंघ पदाधिकारी हेतु मतपत्र का प्रारूप

क्रमांक.....

पद : अध्यक्ष

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मतांकन
1		
2		
3		

पद : उपाध्यक्ष

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मतांकन
1		
2		
3		

पद : सचिव

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मतांकन
1		
2		
3		

पद : सह-सचिव

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मतांकन
1		
2		
3		

नोट :- चुनाव अधिकारी द्वारा मतपत्र देने के पूर्व मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करेंगे ।

महाविद्यालय / SoS / विश्वविद्यालय अध्ययन शाला

छात्रसंघ चुनाव 2015-2016

मतपत्र लेखा

मतदान कक्ष क्रमांक

पदाधिकारियों हेतु

पद का नाम 1	प्राप्त मतपत्र 2	डाले गए मतपत्र 3	अवैध मतपत्र 4	वैध मतपत्र 5 (3-4)	शेष बचे मतपत्र 6 (2-3)
अध्यक्ष					
उपाध्याक्ष					
सचिव					
सह-सचिव					

कक्षा प्रतिनिधि हेतु,

कक्षा एवं वर्ग 1	प्राप्त मतपत्र 2	डाले गए मतपत्र 3	अवैध मतपत्र 4	वैध मतपत्र 5 (3-4)	शेष बचे मतपत्र 6 (2-3)

मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर

.....
.....
.....

महाविद्यालय / SoS / विश्वविद्यालय अध्ययन शाला,जिला.....

छात्रसंघ चुनाव 2015–2016

अधिसूचना

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में विश्वविद्यालय के अध्यादेश अनुसार सम्पन्न छात्रसंघ चुनाव पश्चात् महाविद्यालय में छात्रसंघ के निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित घोषित किये जाते हैं ।

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव

सहसचिव

हस्ताक्षर

(पद मुद्रासहित)

संरक्षक – छात्रसंघ

हस्ताक्षर

(पद मुद्रासहित)

छात्रसंघ प्रभारी

छात्रसंघ चुनाव 2015–2016

दिनांक

चुनाव परिणाम एवं मतगणना प्रपत्र का प्रारूप

पद—अध्यक्ष		पद—उपाध्यक्ष	
अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
.....
.....
.....
.....

अध्यक्ष पद हेतु विजयी अभ्यर्थी का नाम

उपाध्यक्ष पद हेतु विजयी अभ्यर्थी का नाम

.....

.....

पद—सचिव		पद—सहसचिव	
अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत	अभ्यर्थी का नाम	प्राप्त मत
.....
.....
.....
.....

सचिव पद हेतु विजयी अभ्यर्थी का नाम

सह—सचिव पद हेतु विजयी अभ्यर्थी का नाम

.....

.....

हस्ताक्षर
संपोषक / प्राचार्य

हस्ताक्षर
छात्रसंघ प्रभारी

छात्रसंघ चुनाव 2015-2016

शपथ पत्र

मैंआत्मज/आत्मजा.....
शासकीय/अशासकीय.....महाविद्यालय के छात्रसंघ 2015-2016 के पद
.....की आज दिनांक...../2015 को सत्य एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता
हूँ/लेती हूँ कि मैं जाति, धर्म, रंग, वर्ग आदि के भेदभाव से हटकर कार्य करूंगा
/करूंगी।

मैं विश्वविद्यालय द्वारा जारी छात्रसंघ गठन के संबंध में अध्यादेश क्रमांक-1 में दिये
गये प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा /करूंगी ।

मैं महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखूंगा /रखूंगी तथा महाविद्यालय की गरिमा
को अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी ।

छात्रसंघ पदाधिकारी

दिनांक/...../2015

हस्ताक्षर

नाम

पद

कक्षा

छात्रसंघ चुनाव 2015–2016
मतदान/मतगणना के नियम

1. चुनाव गुप्त मतदान की प्रणाली के आधार पर होगा। अधिकतम मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी विजयी घोषित होगा। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को समान अधिकतम मत प्राप्त होने की स्थिति में विजयी अभ्यर्थी का निर्णय लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा।
2. पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव में एक-एक मतपत्र उठाकर जिस अभ्यर्थी को वैध मत दिया गया है उसके नाम की घोषणा मतगणना अधिकारी के द्वारा की जाती रहेगी, जिसके आधार पर अन्य मतगणना अधिकारी अपने गणना पत्रक पर मत अंकित करने हेतु कमबद्ध तरीके से काटेंगे प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतपत्र अलग-अलग गड्डियों में रखे जायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनर्गणना आसानी से की जा सके ।
3. मतगणना के लिये मतगणना पत्रक प्रदान किया जावेगा। इसको पूरा भरने के उपरान्त इसी पत्रक में अंकित मतपत्र लेखे में मतपत्रों का हिसाब भी प्रस्तुत करना होगा ।
4. मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम सीमा-रेखा खींचकर पृथक-पृथक अंकित किये गये है । उसी अभ्यर्थी को वैध मत दिया गया माना जाएगा जिस अभ्यर्थी के नाम की सीमा-रेखा में मत अंकित किया गया है। जिस अभ्यर्थी की सीमा रेखा के अन्दर चिन्ह लगा होगा उसी अभ्यर्थी को वह मत वैध रूप से दिया गया माना जायेगा ।
5. यदि मतदान चिन्ह इस प्रकार से लगा है कि वह दो अभ्यर्थियों की सीमा रेखा को छू रही हो तो जिस अभ्यर्थी की सीमा में मतदान चिन्ह का अधिकतम भाग होगा उसी अभ्यर्थी को मत दिया गया माना जाएगा । यदि चिन्ह इस प्रकार लगा हो कि दोनो अभ्यर्थियों की सीमा-रेखा में आधा-आधा भाग होगा वह मत निरस्त माना जाएगा ।
6. यदि चिन्ह सभी अभ्यर्थियों की सीमा-रेखा से बाहर लगा हुआ होगा तो मत किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दिया गया माना जाकर निरस्त कर दिया जाएगा ।
7. मतपत्र निम्न परिस्थितियों में निरस्त माना जायेगा :-
 - अ. मतपत्र पर कोई पहचान चिन्ह अथवा लेखन अंकित हो जिससे मतदाता पहचाना जा सके।
 - ब. मत देने के लिये निर्धारित चिन्ह के अलावा अन्य तरीके से मत अंकित किया गया है।
 - स. किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है यह सुनिश्चित न किया जाकर मत संदेहास्पद हो ।
 - उ. एक से अधिक अभ्यर्थियों की सीमा-रेखा में चिन्ह अंकित किया गया हो ।
 - ई. मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो ।
8. छात्रसंघ के पदाधिकारियों के मतपत्र जिनमें एक से अधिक पदों के लिए मतदान किया जाना है उनमें से एक पद पर उपरोक्त नियमों के अनुसार कोई मत अवैध होता है किंतु अन्य पदों के लिए वैध मत दिया गया है तो वह मत उसी पद के लिए अवैध माना जाएगा, शेष पदों के लिए मत वैध होगा ।

छात्र संघ चुनाव सत्र 2015–2016 आचार संहिता

छात्रसंघ के इस शैक्षणिक सत्र 2015–2016 के चुनाव में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थी निम्नलिखित आचरण संहिता का पालन करेंगे । इसका उल्लंघन होने पर अभ्यर्थियों का चुनाव निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रमुख/शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को होगा ।

सत्र 2015–2016 के निर्वाचन के लिये लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुरूप एक आदर्श आचरण संहिता निम्नानुसार तैयार की गई है :-

- (1) प्रति अभ्यर्थी अधिकतम स्वीकृत व्यय-सीमा रुपये, 5,000/- होगी ।
- (2) प्रत्येक अभ्यर्थी परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह में लेखा-जोखा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा । महाविद्यालय/विश्वविद्यालय इसे प्राप्त होने के दो दिनों में उचित माध्यम से प्रकाशित करेगा ताकि विद्यार्थी इकाई का कोई भी सदस्य इसका स्वतंत्रता पूर्वक परीक्षण कर सकेगा ।
- (3) सीमा से अधिक व्यय या नियमों के पालन न करने पर अभ्यर्थी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जावेगा ।
- (4) छात्रसंघ निर्वाचन की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से प्राप्त हो सकने वाले फण्ड को रोकने की दृष्टि से अभ्यर्थियों को विशेष रूप से स्वैच्छिक दान किसी भी संस्था या विद्यार्थी इकाई से प्राप्त करने पर बंदिश रहेगी ।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा जिससे कोई मतभेद पैदा हो, या आपसी द्वेष पैदा करें या विभिन्न जातियों, समुदायों वर्गों (धार्मिक और भाषायी) या विद्यार्थियों के समूहों में तनाव उत्पन्न करे ।
- (6) जब भी अन्य अभ्यर्थियों की आलोचना की जाये, तब नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकार्ड तथा कार्यों को ही ध्यान में रखा जाए । अन्य अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों पर बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाने से अथवा छवि बिगाड़ने से स्वयं को दूर रखेंगे ।
- (7) जाति तथा सामुदायिक आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकेंगे, कैम्पस में प्रार्थना स्थल को निर्वाचन के प्रचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।
- (8) समस्त अभ्यर्थी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त नहीं रहेंगे जो भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाता को लालच देना, उन्हें धमकाना या भयभीत करने की श्रेणी में आते हो। मतदान के दिन मतदान स्थल से 100 मी० के घेरे में प्रचार नहीं कर सकेंगे तथा निर्वाचन समाप्ति के समय 24 घंटे पूर्व सभायें नहीं कर सकेंगे तथा न ही मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने व ले जाने के लिये वाहन व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे ।
- (9) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा छपे हुए पोस्टर, छपे पेम्पलेट या छपी सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग नहीं किया जावेगा । **सिर्फ हाथ से बनाये गये पोस्टर का प्रयोग किया जा सकता जो कि व्यय की सीमा के अंतर्गत हो ।**

- (10) परिसर में कुछ ही स्थानों पर हाथ से बनाये पोस्टर का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति से ही कर सकेगा ।
- (11) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जूलूस या सभा नहीं करने दी जायेगी तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के परिसर के बाहर चुनाव प्रचार या प्रोपेगेंडा करना वर्जित है ।
- (12) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लिखित अनुमति के बिना अभ्यर्थी या उसका समर्थक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं करेगा । वह किसी भी प्रकार से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को न तो खराब करेगा और न ही नुकसान पहुंचायेगा । महाविद्यालय/विश्वविद्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी समस्त विद्यार्थियों की सम्मिलित रूप से मानी जावेगी तथा वे इसके लिये जिम्मेदार होंगे ।
- (13) निर्वाचन अवधि में अभ्यर्थी जनसंपर्क कर सकेंगे । वह भी तब जब किसी भी रूप में कक्षाओं तथा अन्य अकादमिक/पाठ्येत्तर गतिविधियों महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रभावित न हो लेकिन ऐसी जनसंपर्क महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारियों की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी ।
- (14) प्रचार के लिए लाउडस्पीकर वाहन तथा पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
- (15) निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ अभ्यर्थी सहयोग करेंगे ताकि शांतिपूर्वक विधिक रूप से मतदान हो सके एवं मतदाताओं को उनके प्रतिनिधि चुनने में बिना किसी दिक्कत या व्यवधान के चुनाव हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो ।
- (16) किसी प्रकार की खाद्य सामग्री या अन्य ठोस या तरल पेय सामग्री का वितरण न किया जाये । चुनाव के दिन सिर्फ पानी को छोड़कर और कुछ न वितरित किये जावे । चुनाव की तिथि पर किसी प्रकार का प्रचार न किया जाये ।
- (17) मतदान कक्ष पर मतदाता को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र (महाविद्यालय का परिचय-पत्र) लाना अनिवार्य होगा । सभी अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्ता को भी अपनी पहचान पत्र साथ में अनिवार्य रूप से रखना होगा । **मतदान की तिथि में उसी महाविद्यालय के नियमित मतदाता छात्र जिसके पास परिचय पत्र हैं महाविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी ।**
- (18) निर्वाचन प्रक्रिया हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा ।
- (19) **समस्त अभ्यर्थी चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन के 48 घंटे बाद स्वच्छ रखने के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे ।**
- (20) उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा या उनके निर्वाचित पद से हटा दिया जावेगा । (जैसी भी स्थिति हो) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही कर सकेंगे ।
- (21) उपर्युक्त आचार संहिता के अतिरिक्त भी यह निर्देशित है कि भारतीय दण्ड विधान 1860 के कतिपय प्रावधानों (भाग 153 ए तथा अध्याय 9) निर्वाचन से संबंधित दण्ड को विद्यार्थी निर्वाचन से सम्बद्ध किया जावेगा ।

DRAFT ORDINANCE

In exercise of the powers conferred by clause (xxi) of Section 37 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the following ordinance is issued relating to Students' Union in colleges and universities and teaching departments/school of studies for the academic session 2014-2015, namely:-

1. **Students' Union and its composition.-** (1) There shall be a Students' Union consisting of (a) Students' Council; and (b) Activity Societies in all University Teaching Departments (hereinafter referred to as UTD)/School of Studies (hereinafter referred to as SOS) and Colleges affiliated to the university.

(2) The Students' Council shall comprise of President, Vice-President, Secretary & Joint Secretary along with all class representatives in all UTDs/SOSs and Colleges, formed by elections. The Activity Societies shall be nominated bodies:

Provided that this will not be applicable to those Colleges which are up to second session of its existence:

Provided further that the Executive Council of the University may, in extra ordinary situations, at the request of any UTD/SOS or College, as the case may be, permit it to be exempted from the operation of this ordinance:

Provided further also that any UTD/SOS or College which is running only course/s of one year duration or

less shall, too, be exempted from the operation of this ordinance.

2. **Objectives of the Student's Union.**- The following shall be aims and objectives of the Students' Union, namely: -

- (i) to promote and reinforce the democratic values and principles amongst the students and to educate them about their duties and rights in democracy;
- (ii) to emerge with value oriented leadership qualities and to inculcate a spirit of discipline and also to foster the spirit of brotherhood;
- (iii) to promote respect for human rights and dignity for the individuals and to eliminate ragging;
- (iv) to promote intellectual, social and cultural activities in the campuses;
- (v) to encourage participation in literary, cultural, artistic, innovative and sports activities to bring out their leadership and creative talents;
- (vi) to promote scientific temper and awareness on subjects of national and international importance;
- (vii) to extend social service through mutual cooperation with a view to shaping a generation dedicated towards social, economic, political issues of the society;
- (viii) to nurture a congenial atmosphere of learning and teaching for the development of the institution with the ultimate aim to build a knowledge society;

Provided that the union,-

- a. will not consider or canvass any matter relating to faculty / employees /individual students;
 - b. will not undertake any activity that will disturb the academic calendar approved by the Coordination Committee or is contradictory to the provisions of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973);
 - c. will not take up any matter which falls within the jurisdiction of a Statutory Body other than the University;
 - d. will not take up any activity that is against the code of conduct prescribed for the students of the College/ UTD/SOS.
 - e. will not indulge in any activity that is detrimental to the peace, tranquility and academic environment of the College/ UTD/SOS, as the case may be;
 - f. the union shall not identify or associate itself with any political party.
3. **Patron.**- The Kulpati shall be the Patron of the Students' Union in UTD/SOS whereas the Principal of the college shall be the Patron of the Students' Union in the College.
4. **Eligibility.**- (i) Any regular student on the rolls of College or UTD/SOS, as the case may be, on or before 14th August shall be eligible to vote for electing his/her Class

Representative and the Students' Council, subject to the provisions contained in clause (viii) of Section 20:

Provided that a student, who has indulged in ragging shall not be entitled to vote or contest for the Students' Council.

(ii) An eligible student can, at his/her option, also be a member of any one of the Activity Societies of the Students' Union of the College/ UTD/SOS after completing the prescribed formalities. Such a student can, at his/her option, also become associate member of any other society.

(iii) An associate member will have all the privileges and rights of a member, except that he/she cannot be nominated to any office of the Society.

5. Students' Council.- (i) The Students' Council shall consist of the following members, namely:-

(a) (i) President;

(ii) Vice President;

(iii) Secretary; and

(iv) Joint Secretary.

(b) One Class Representative from each section of every under graduate class (e.g. Part one, two, three) and one representative each from 1st & 2nd semester (combined), one representative from 3rd & 4th semester (combined) of each subject at the post graduate level,

elected by the student members of the section/subject/class from amongst themselves. Wherever semester system is followed at undergraduate classes, the Class Representative shall be from 1st and 2nd semester (combined), 3rd and 4th semester (combined) and 5th and 6th semester (combined) from each section of undergraduate class. In case of semester courses of one year duration, the Class Representative shall, too, be from 1st and 2nd semester (combined) for each of the course.

(c) If, at least one representative belonging to any of the following categories is not elected under clause (a) and (b) above, as a member of the council, the Patron shall nominate, as nominated members, one student from each of following categories from amongst the students whose name figure in the electoral roll, namely :-

- (i) Scheduled Tribes;
- (ii) Scheduled Castes;
- (iii) Other Backward Classes; and
- (iv) Persons with disability

Note: Nominated members can participate in deliberations at a meeting of the Council but shall not have any voting rights.

(ii) The following shall be the office bearers of the Student Council, namely:-

1. President

2. Vice-President
3. Secretary
4. Joint Secretary,

The office bearers shall be elected by the regular students of the college whose name figure in the electoral roll of the College/ UTD/SOS, as the case may be. Any student, whose name figures in the electoral roll, can contest for the post of Students' Council provided one post of office bearer shall be reserved for a woman candidate in the College/ UTD/SOS where women students are also enrolled.

- (iii) In the first year, the post for women will be determined by lottery after which it will rotate in the descending order, as given in (ii), above.
- (iv) The term of the Students' Council and societies shall commence on the date of its constitution and end on the 30th April of the academic year.
- (v) One third of the total posts of Class Representatives in College/ UTD/SOS shall be reserved for women in those colleges where women students are also enrolled and posts for women will be determined by draw of lots.
- (vi) A teacher not below the rank of assistant professor in a College/ UTD/SOS shall be appointed as professor-in-charge of the Students' Council and the society by the Patron. The professor-in-charge shall also be the treasurer of the Council/Societies and he/she shall have the right to be present at any meeting of the Students' Council or the

societies and to offer his/her advice on any matter relating thereto.

6. **Nomination Committee.-** There shall be a Nomination Committee for nominating office bearers of the Activity Societies. The Nomination Committee shall ordinarily comprise up to four members. In case of Government Colleges, the patron shall be the President of the Nomination Committee with the elected President of the Students' Union, the President of Janbhagidari Samiti and professor- in- charge of Students' Union as its members. The vice-president/ Collector's nominee of the Jan Bhagidari Samity shall be the member, wherever the post of President, Janbhagidari Samiti is lying vacant. In U.T.D., the Kulapati shall be President of the Nomination Committee, whereas in a private college, the Chairman of Management Committee shall be the President of the Nomination Committee.
7. **Co- curricular and Academic Activity Societies.-** (i) There shall be, in every College/ UTD/SOS, Co- curricular and Academic Activity Societies like (1) Cultural Society; (2) Social Work Society [This includes Red cross Society, NCC/NSS (wherever it exists)] ; (3) Science club; (4) Physical Activity Society; (5) Society on Gender Issues (6) Knowledge Society; (7) Current affairs club; (8) Computer literacy Society; (9) Book Readers' Society; (10) Dramatics Society and (11) Fine Arts Society, etc. in a manner prescribed here in below.

- (ii) There shall be a Working Committee for each Activity Society. The committee shall comprise of Convener, Co-convener and Nominated Members. The number of nominated members shall depend upon the strength of bona fide students enrolled in College/ UTD/SOS, as the case may be. Colleges/ UTD/SOS with student strength of up to 1000 shall have 5 nominated members whereas the number of nominated members can be 10 for College/ UTD/SOS with student strength beyond 1000.
 - (iii) The Working Committee of each Activity Society shall be responsible for conducting activities assigned to it. The Convener of the Working Committee shall have the right to attend the meeting of the Student Council. He can also offer advice to the Student Council on evolving programs for the Student Council. However, such advice shall not be binding upon the Student Council. The other powers and functions and scope of activities of each Society shall be determined by the Patron.
 - (iv) The funds generated from the membership fees of any society and those raised by the members of that particular society, with prior permission of the Professor-in-charge, shall be available to the concerned society to carry out the functions and activities.
 - (v) The Activity Society shall be constituted within 21 days from the date of completion of election.
8. **Powers of the Patron.-** The Patron shall have the following powers, namely:-

- (a) To preside and address any meeting of the Students' Council or of the office bearers of the Students' Council and to address the members thereof, as and when the situation so warrants.
- (b) to decide all disputes of Students' Council or societies referred to him and his decision in the matter shall be final.
- (c) to administer the oath of office to members and office bearers of Students' Union.
- (d) to annul any resolution or proceedings of the Students' Council or the Societies, as deemed necessary, wherever such a resolution or the proceeding is found to be beyond the powers of the council or detrimental to the interest of the College/ UTD/SOS.
- (e) to dissolve Students' Council in the event of violation of the provisions of the Ordinance by the Students' Council or the Societies, as the case may be, and to take appropriate action.
- (f) to remove any office bearer of the Students' Council or the Society from his/her office if the said office bearer has directly or indirectly indulged in ragging;

or

is involved in financial embezzlement;

or

has extracted or tried to extract money illegally from some person/institution or business establishment;

or

has intimidated any officer or the employee of the college/University to do an illegal act;

or

indulged in violent activity or have lead violent demonstration or is involved in case of moral turpitude;

or

has indulged in any activity that is detrimental to the reputation of the institution.

- (g) to authorize the arrangement and allocation of funds for the Students' Council and different Societies.
- (h) to decide the membership fees for the members of any of the Societies.
- (i) to call a monthly meeting of student union and the teaching staff.

9. **Powers of the Professor-In-Charge.-** Professor-in-charge of the Students' Council or of the Societies, as the case may be, shall have the following powers with respect to the Council / Societies, namely:-

- (a) to conduct the election to the Students' Council;
- (b) to be present at the meetings of the Students' Council or the Society;

- (c) to exercise general supervision over the affairs of the Council or the Society and if necessary to advise the Students' Council or the Society regarding their activities;
- (d) to be in-charge of the funds of the Council or the Society and to ensure that no part thereof is advanced or spent without the sanction of proper authority or for purposes other than those for which they are allocated;
- (e) to bring to the notice of the Patron any resolution or proceeding or act of any of the bodies or office bearers of the Council or the Society which is in violation of the provisions of the Ordinance or is likely to be prejudicial to the interest of the college;
- (f) to send to the Adviser-cum-Treasurer of the University, the names of elected President and Secretary, immediately upon the completion of the election.

10. **Power of the President/ Convener to preside over the meeting of the Council or Society.-** The President/Convener of the Council/Societies, as the case may be, shall in the absence of the Patron/Professor-in-charge, preside over the meetings of the Students' Council or Society.

11. **Duties of the President/Convener of the Council/Societies.-** Subject to clause 10 above, President/Convener of the Council/Societies may preside

over the meeting of the Council/Societies and shall perform the following duties, namely:-

- (a) Subject to the control of the Students' Council/Societies, to be in charge of the general management of the affairs of the Council/ Society.
- (b) To ensure discipline at the meetings of the Students' Council/Societies or at any meeting or gathering organized by the Council/Societies.
- (c) To ensure that the provisions of the Ordinance are faithfully observed.
- (d) To ensure that any activities organized by the Council/Societies do not become unruly, violent or unlawful nor does it lead to the destruction of the private or public property.
- (e) To discharge any other legitimate functions entrusted to him/her or any legitimate duty imposed on him/her by the Students' Council or the Society subject to the approval of the Patron/ Professor-in-charge.

12. **Duties of the Vice President of the Council.**- the Vice President of the Council shall carry out the legitimate work assigned to him/her by the President of the Council and perform the legitimate functions of the President in his/her absence.

13. **Duties of the Secretary/Co-convener of the Council or Society.**- the Secretary/Co-convener of the Council or

Society as the case may be, shall carry out the following functions, namely:-

- (i) to convene meetings of the Students' Council/Society subject to the instructions of the President and approval of the Professor-in-charge;
- (ii) to prepare and maintain the minutes of the meetings of the Students' Council or the Society;
- (iii) to conduct the correspondence of the Council or the Society and keep all records thereof;
- (iv) to ensure that the legitimate decision of the Students' Council or the Society are carried out;
- (v) to perform all other legitimate function entrusted to him/her by the President/Convener with the approval of the Professor-in-charge;

Note:- The Co-convener of a Society shall perform the legitimate functions of the Convener, in his/her absence.

14. Duties of the Joint Secretary.- (i) The Joint Secretary of the Council shall assist the Secretary in the discharge of his/her duties and shall have such powers as may be assigned to him/her by the President with the approval of the Professor-in-charge.

(ii) The Joint Secretary shall, in the absence of the Secretary discharge the legitimate duties of the Secretary.

15. Powers of the Students' Council/Societies.-

(i) The Students' Council/Societies, as the case may be, shall have the following powers, namely :-

(a) To lay down the broad pattern of the activities of the Students' Council/Societies.

(b) To approve the budget estimates of the Council/Societies.

(ii) One-third of the total membership of the Students' Council & one-fourth of the total membership of the concerned Society shall constitute the quorum.

(iii) Each member of Students' Council shall have the right of one vote.

16. **Meeting of the office bearers of the Students'**

Council/Societies.- (i) The office bearers of the Students' Council/Societies shall meet at least once in every two months. No quorum is required for the meeting of the office bearers.

(ii) The office bearers shall be given at least three days notice for an ordinary meeting and clear twenty four hours' notice for an emergent meeting. Agenda of the ordinary as well as the emergent meeting shall be sent along with notice. No ex-agenda item shall be admissible in an emergent meeting.

(iii) The minutes of the meeting of the office bearers of the Students' Council /Societies shall be put up for confirmation at the next following meeting.

17. Functions of the Students' Council/Societies.- The office bearers of the Students' Council/Societies, as the case may be, shall:-

- (i) prepare the budget of the Council/Societies under the guidance of the Professor-in-charge and submit it to the General Meeting of the Students' Council/Societies for approval.
- (ii) draw up the programme of work to be undertaken by the Council or Societies during the academic session and make necessary arrangement for the implementation of the programme. Provided that no outsider shall be invited to address the Council/Societies or any of its bodies without the prior approval of the Patron/Professor-in-charge.

18. Grievance redressal society and welfare society.- (i) The President of the Students' Council may constitute a Students Grievance Redressal Society and Students' Welfare Society.

- (ii) The number of members of these societies shall be determined by the Patron keeping in view the size of the college, number of the students and other relevant factors.

19. Funds of the council.- (i) Funds placed at the disposal of the Council by the Patron of the College together with any other funds raised lawfully with the prior permission of the Patron, shall constitute the funds of the Council.

(ii) The Professor-in-charge shall draw, out of the fund, money sanctioned by the Council and shall have direct control over it.

(iii) Whenever any amount is advanced to the President or any member of the Council authorized to receive the amount, the account shall be rendered to the Secretary who shall countersign the vouchers, maintain the accounts of the Council and submit the account with the complete set of vouchers to the Professor-in-charge within a week.

(iv) The Professor-in-charge and the office bearers of the Council/Societies, as the case may be, shall be responsible for appropriate utilization of the allotted amount.

(v) Absolute transparency shall be required to be maintained in matters pertaining to the maintenance of accounts of the Students' Council/ Societies. Any Student, who is a member of the Council/Societies, shall have the right to see the accounts of the Council / Societies.

20. Elections.- (i) Election shall be held on a date determined in the academic calendar approved by Kuladhipati.

(ii) Election shall be conducted by the Professor-in-charge according to the program announced by the Kulpati.

(iii) The Professor-in-charge, shall notify 7 days in advance, the date and place of election of office bearers of

the Students' Council and Class representatives, the time for filing nomination papers, time for scrutiny of nominations, hours of the withdrawal of nomination, the day, place and duration of the poll, time and place for the counting of votes etc.

(iv) The result of the election shall be declared by the Professor-in-charge immediately after the counting of votes is over.

(v) If in the opinion of the patron, exigencies exist for postponement of election and a recommendation to postpone or advance the date of election is forwarded to the Kulpati, the Kulpati shall have the power to postpone or advance the date of the elections.

(vi) The election for the office bearers of the Students' Council and the Class Representatives shall be held simultaneously.

(vii) It shall be, at the discretion of the Professor-in-charge, to give opportunity to candidates contesting for the post of Students' Council or Class Representative, to speak about his/her plan and programmes to the concerned students, prior to 24 hrs before the commencement of polling.

(viii) A student shall not be eligible to contest the election or to be nominated to any office of the Council/Society of the College if he/she falls in any of the categories listed below,-

(a) Has ever been found guilty of ragging.

- (b) Has passed 10+2 examination earlier than six years before the commencement of the academic session in which the election is held or has taken more than the prescribed minimum period, for whatever reason, for the course of which he/she is/was a student in the College/UTD/SOS or has an academic backlog.
- (c) Has failed to pay the tuition fees and any other dues.
- (d) Has been convicted by a court of law for any offence or against whom charges have been framed and the criminal proceedings are in progress for any offence relating to the affairs of the College/UTD/SOS as the case may be.
- (e) Has been punished for use of unfair means at any examination or against whom proceeding is pending.
- (f) Is in employment while studying in the college.
- (g) Has passed the last University examination in more than the minimum period required.
- (h) Has been punished for indiscipline by the College / UTD/SOS authorities.
- (i) Joined any equivalent course after having failed in one or having left one incomplete.
- (j) Has been provisionally admitted.

- (k) Has been expelled from the hostel due to breach of rules.
- (ix) No person shall hold the same office consecutively.
- (x) A candidate seeking election shall be nominated by a Proposer and a Seconder who shall be eligible voters.
- (xi) In addition to the elected and nominated members of Students' Council, any regular student whose name figures in the electoral rolls of the college, can contest the elections of the following, namely:-
1. President;
 2. Vice-President;
 3. Secretary; or
 4. Joint-Secretary:

Provided that only those students can contest for the post of President of the Students' Council, who have been regular students of the college for one year immediately before the present academic session or he/she is enrolled as the student of the post graduate degree course:

Provided further that any student shall be eligible to contest election and to get elected for the post of Class Representative once during under graduate education and once during post graduate education.

- (xii) Nomination paper shall be filed before the professor-in-charge, as per announced schedule to be

displayed on the notice board, for elections to the post of Students' Council/Class Representatives, in the presence of proposer and seconder. In case of Students' Council, the proposer and the seconder can be any student of the College / UTD/SOS, whose name figures in the electoral roll of the College/UTD/SOS; however, for the post of Class representatives, the proposer as well as the seconder shall have to be from the same class/section, as the case may be, of the contestant. Scrutiny of nomination papers, withdrawal etc, shall be done as per the pre-announced schedule to be displayed on the notice board. The nomination paper shall be delivered by the candidate himself, at a place specified for this purpose, in the presence of proposer and seconder.

- (xiii) All the Nominations shall be made in the prescribed form, available with the professor in charge, and a nomination paper shall be declared invalid if:
- (a) The nomination paper was received after the prescribed date and time.
 - (b) The nomination is not in the prescribed form and it has not been obtained from the Professor in charge.
 - (c) The nomination paper submitted is, in any way, incomplete.

- (d) The candidate is disqualified to seek election under the provisions of this ordinance.
 - (e) No addition or alterations shall be permitted once the nomination is submitted by the candidate and received by the Professor-in-charge.
- (iv)** (a) If in an election all the nominations are found invalid or no nomination paper is filed, the patron shall nominate a student/students not disqualified under sub-para (ix), from amongst the voters concerned, to fill the seat remaining vacant due to the invalidation or for want of nomination.
- (b) If the number of validly nominated candidates is less than or equal to the number to be elected, all such nominated persons shall be declared elected and the vacancy thereafter, if any, shall be filled up by Patron by nomination as in (a) above.
 - (c) Voting shall take place if the number of validly nominated candidates, after the withdrawals of candidature, is greater than the number of members to be elected, for a particular post.
 - (d) The voting shall be done by secret ballot and the candidate securing highest number of votes shall be declared as elected.

- (e) In case of two or more candidates securing equal number of highest votes, for a particular post, the winner shall be decided by draw of lots, by the Professor-in-Charge.

Every student shall have to abide by the following code of conduct, during the course of election, namely:-

- (a) No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.
- (b) Criticism of other candidates, when made, shall be confined to their policies and programs, past record and work. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the other candidates or supporters of such other candidates.
- (c) Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided.
- (d) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Places of worship, within or without the campus shall not be used for election propaganda.

- (e) All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be "corrupt practices" and offences, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing or the use of propaganda within 100 metres of polling stations, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.
- (f) No candidate shall be permitted to make use of printed posters, printed pamphlets, or any other printed material for the purpose of canvassing. Candidates may only utilize hand-made posters for the purpose of canvassing, provided that such hand-made posters are procured within the expenditure limit set out herein above.
- (g) Candidates may only utilize hand-made posters at designated places in the campus, which shall be notified in advance in writing by the university/college authority.
- (h) No candidate shall be permitted to carry out processions, or public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the university/college campus.
- (i) No candidate shall, nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to

any property of the university / college campus, for any purpose whatsoever, without the prior written permission of the college / university authorities, as may be designated for the purpose. All candidates shall be held jointly and severally liable for any destruction / defacing of any university / college property.

- (j) During the election period the candidates may hold processions and / or public meetings, provided that such processions and / or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co-curricular activities of the college / university. Further, such procession / public meeting may not be held without the prior written permission of the college / university authority as may be designated for this purpose.
- (k) The use of loudspeakers, vehicles, animals or any other undesirable things for the purpose of canvassing shall be prohibited.
- (l) No candidate shall exceed the limit of expenditure, for the purpose of election that is fixed by the Professor-in Charge, for this purpose.
- (m) On the day of polling candidates shall -:
 - (i) Co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and

complete freedom to the voters to exercise their franchise without annoyance or obstruction;

- (ii) not serve or distribute any eatables either in solid or liquid form whatsoever on the day of polling.

(xvi) Where a candidate fails to observe the code of conduct or instigates or supports breach of the code of conduct as given above, the Professor-in-Charge may declare his/her election invalid and may also recommend for disciplinary action.

(xvii) A ballot paper shall be rejected if:

- (a) it bears any mark or writing by which the elector can be identified; or
- (b) it bears no mark to indicate the vote or bears a mark other than the mark of the prescribed seal placed for the purpose, provided by the College/ UTD/SOS; or
- (c) a mark of the seal, indicating the vote, is placed in such a manner as to make it doubtful or uncertain as to which candidate the vote has been given; or
- (d) a voter has given more votes than the number of seats to be filled; or
- (e) a ballot paper is signed by the voter. Provided that where there is an uncertainty in respect of any vote/votes but not in respect of all the votes

given by the voter, the ballot paper shall be void to the extent of the uncertainty only.

21. **Election dispute resolution committee.**- The Patron, at the beginning of the academic session, shall constitute a Election Dispute Resolution Committee. Dispute relating to elections that cannot be resolved by the Professor-in-Charge could be referred by the patron to the Committee. The decision of the committee shall be binding.
22. **Ceasing to be in office.**- If a student elected to an office does not take oath within the prescribed period, the right to the office shall cease and the office shall be deemed to be vacant.
23. **Debar from continuing in office.**- When a person elected to any office or body of the Council/Societies incurs any of the disqualification listed under sub-Para(ix) of Para 20 above, he/she shall be debarred from continuing in such office or body by the order passed by the Patron, and the position held by him/her shall become and remain vacant.
24. **Resignation.**- An office bearer of the Council/Societies or a member of the Students' Council or the Society may resign by a letter addressed and submitted in person to the Professor-in-Charge and the resignation shall take effect as soon as the resignation letter is accepted by the Professor-in-Charge.
25. **Assistance of district administration.**- The Vice-chancellor/ College Principal may call upon the district

administration and police to assist in the conduct of elections.

26. **Powers of Kulpati.**- In the Ordinance or under this Ordinance, wherever date and time are specified, they could be changed by the Kulpati.
27. **Power to remove difficulties.**- Notwithstanding anything contained hereinabove, the Kulpati shall be the authority to clarify matters relating to interpretation of this Ordinance.
28. **Repeal.**- This Ordinance shall be in the supersession of the previous Ordinance.